श्री सभापति: यह कहां से आ गया? कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। (*Interruptions*) Now, Question No. 505.

*505. [The questioner (Shri Rajeev Shukla) was absent For answer *vide* page 36 *infra*.]

उर्वरकों की कीमतों में कटौती

506. **श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरकों की वर्तमान कीमतों में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नई उर्वरक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(क) से (ख) उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में फिलहाल कमी करने का कोई प्रस्ताव नही है। उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में दिनांक 28.2.2002 से वृद्धि नहीं की गई है। उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में दिनांक 28.2.2003 को मामूली सी वृद्धि की गई थी जिसे दिनांक 12.3.2003 को वापस ले लिया गया था।

(ग) और (घ) यूरिया के स्वदेशी उत्पादकों को राजसहायता का भुगतान यूरिया इकाइयों की नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस), जो तत्कालीन इकाई विशिष्ट प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से लागू हुई थी, के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। नई मूल्य निर्धारण योजना को चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। चरण-I की अवधि एक वर्ष अर्थात् 1.4.2003 से 31.3.2004 तक थी। चरण-II की अवधि दो वर्ष अर्थात् 1.4.2004 से 31.3.2006 तक है। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों को नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत योजना के प्रावधानों के अंतर्गत रियायत दी जाती है।

नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-I और चरण-II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा 1.4.2006 से प्रारम्भ होने वाले चरण-III के लिए यूरिया इकाइयों हेतु नीति निर्धारण करने के लिए डा॰ वाई॰के॰ अलघ की अध्यक्षता में 10.12.2004 को एक कार्य दल गठित किया गया है। यह कार्य

दल विशेषकर यूरिया की प्रकृति, मूल्य-निर्धारण तथा उपलब्धता 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूरिया की मांग और आपूर्ति, मौजूदा नेफ्था तथा एफओ/एलएमएचएस आधारित इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने के मानदण्ड निर्धारित करना, यूरिया इकाइयों को रियायत के भुगतान की निर्धारण पद्धति तथा कार्यप्रणाली, यूरिया के संचलन तथा वितरण को नियंत्रणमुक्त करना यूरिया मूल्य-निर्धारण के जरिए संतुलित उर्वरण आदि से संबंधित फीडस्टॉक नीति तैयार करने से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगा। कार्यदल को उसके गठन की तारीख से छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यूरिया की घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई यूरिया परियोजनाओं और विद्यमान यूरिया परियोजनाओं की स्थापना हेतु एक नीति की घोषणा की गई है। नई/विस्तार परियोजनाएं फीडस्टॉक के रूप में केवल प्राकृतिक गैस/एलएनजी पर आधारित होंगी जो आज उर्वरक क्षेत्र में सर्वाधिक लागत प्रभावी तथा न्यूनतम प्रदूषण वाला फीडस्टॉक है। नई नीति से उद्यमी उर्वरक क्षेत्र में अपनी निवेश योजनाओं के बारे में निर्णय ले सकेंगे।

मौजूदा यूरिया इकाइयों की कठिनाइयों को दूर करने/पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण करने के लिए भी नीति की घोषणा की गई है जिसकी अनुमति तभी दी जाएगी जब अतिरिक्त उत्पादन, फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस/एलएनजी का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

सरकार ने मौजूदा नेफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित यूरिया संयंत्रों को प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तन करने की भी एक नीति बनाई है। नेफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्र कम ऊर्जा दक्ष हैं और इनकी उत्पादन लागत अधिक है। इसलिए यह नीति प्राकृतिक गैस/एलएनजी में शीघ्र परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है ताकि ये नियंत्रणमुक्त तथा उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकें। फीडस्टॉक के रूप में एनजी/एलएनजी में परिवर्तन करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशक को यह आश्वासन दिया जाता है कि परिवर्तन के बाद ऊर्जा दक्षता के कारण होने वाली बचत को संयंत्रों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए और ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों में अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

Reduction in fertilizer prices

†*506. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to reduce the present prices of fertilizers;

†Original notice of the question was received in Hindi

(b) if so, the details thereof,

(c) whether the Government are considering to formulate a new fertilizers policy; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There is no proposal at present to reduce the selling prices of fertilizers. Selling prices of fertilizers have not been increased since 28.2.2002. A marginal increase in selling prices of fertilizers announced on 28.2.2003 was withdrawn *w.e.f.* 12.3.2003.

(c) and (d) Payment of subsidy to indigenous manufacturers of urea is regulated under the provisions of the group based New Pricing Scheme (NPS) for urea units, introduced *w.e.f.* 1.4.2003 in place of the erstwhile unit specific Retention Price Scheme. NPS is being implemented in stages. Stage-I was of one year duration, from 1.4.2003 to 31.3.2004. Stage-II is of two years duration, from 1.4.2004 to 31.3.2006. Concession to manufacturers and importers of decontrolled phosphatic and potassic fertilizers is made under the provisions of the Scheme of Concession on sale of decontrolled phosphatic and potassic fertilizers.

A Working Group has been constituted on 10.12.2004 under the chairmanship of Dr. Y.K. Alagh to review the effectiveness of Stage-I and II of New Pricing Scheme (NPS) for urea units and to formulate a policy for urea units for Stage-III commencing from 1.4.2006. The Working Group would also examine issues pertaining to formulation of feedstock policy especially with regard to nature, pricing and availability, demand and supply of urea upto the end of 11th Five Year Plan, fixing milestones for conversion of existing naphtha and FO/LSHS based units to NG/LNG, mode of determination and methodology of payment of concession to urea units, de-control of movement and distribution of urea, balanced fertilization through urea pricing etc. The Working Group has been asked to submit is report within six months from the date of its constitution.

A policy has been announced for setting up new urea projects and expansion of existing urea projects for augmenting the domestic production

capacity of urea to meet the growing demand for enhancing the agricultural production in the country. The new and expansion urea units will be based on natural gas/LNG as feedstock which is the most cost effective and the least polluting feedstock in fertilizer sector today. The new policy will enable the entrepreneurs to decide about their investment plans in the fertilizer sector.

Policy has also been announced for de-bottlenecking/revamp/ modernization of existing urea units, which will be allowed only if the additional production comes from using natural gas/LNG as feedstock.

Government has also formulated a policy for conversion of existing naphtha/FO/LSHS based urea units to natural gas/LNG as feedstock. The plants based on naphtha/FO/LSHS are less energy efficient and have a higher production cost. Therefore, the policy encourages an early conversion to natural gas/LNG so that they acquire a competitive edge in the deregulated and liberalised economic scenario. With a view to encouraging investments for switchover to NG/LNG as feedstock, the investor is assured that savings on account of energy efficiency after conversion would be retained by the plants for a maximum period of 5 years in respect of naphtha based plants and 10 years in respect of FO/ LSHS based plants.

श्री उदय प्रताप सिंह: आदरणीय सभापति जी, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सब सही है लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में यह सत्य है कि जो यूरिया किसानों को मिल रहा है, उसकी काला बाजारी भी होती है, मिलावट भी होती है? इस सबके चलते वह किसान तो पहले से ही बहुत कठिनाई में रहता है, वह और कठिनाई में आ जाता है। दूसरा, दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह नगण्य है। क्या सरकार सब्सिडी को बढ़ाने की किसी योजना पर विचार कर रही है जिससे इस कृषि प्रधान देश के किसानों को कुछ राहत मिल सके।

श्री राम विलास पासवान: जहां तक कालाबाज़ारी का सवाल है, वह तो राज्य सरकार का मामला है।

श्री सभापति: किसी का भी मामला हो, कालाबाज़ारी रोकनी तो चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: हमारे पास यूरिया का जो नियम है, खाद का जो नियम है, वह यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की राज्य सरकार से बातचीत होती है कितनी खाद की आवश्यकता है

और वह मांग हमारे पास भेज दी जाती है। जितनी खाद की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रोड्यूसर्स से बातचीत करके हम वह खाद उनको भेज देते हैं। जहां तक यूरिया की खपत और डिमांड का सवाल है, पिछली बार भी मैंने बतलाया था कि हमारे पास खाद का काफी स्टॉक रहता है। यदि यहां से खाद लखनऊ जाए और लखनऊ की बगल में कानपुर है, अगर वहां खाद नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। Overall राज्य सरकार की जितनी डिमांड होती है और जो हम सप्लाई करते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा देते हैं। हमारे पास यूरिया की 195 लाख टन की क्षमता है और इसका उत्पादन हुआ है 202 लाख टन का । पिछली बार हमने 3 लाख टन यूरिया बाहर से मंगाया था अभी हमारे पास Oman से यूरिया आने वाला है, इस साल वहां से 16.5 लाख टन यूरिया आएगा, डंकन जो बंद था, उसको हमने शुरू करवाया है और उसका उत्पादन होगा 7 लाख टन। इस तरह से कुल मिलाकर हमारा टोटल उत्पादन 218 लाख टन होगा और हमारी मैक्सिमम डिमांड 205 लाख टन तक जाती है। इसलिए जो डिमांड और सप्लाई का सवाल है, उसमें हमारे पास काफी एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है। जहां तक इसके इंपोर्ट का सवाल है, इसमें कभी भी सरकार कोताही नहीं करती है, जितनी आवश्यकता होती है, हम बाहर से मंगा लेते हैं और बाहर से मंगाने के लिए कहते भी हैं।

जहां तक सब्सिडी का सवाल है, किसान को वर्ष 2002 में जिस रेट पर सब्सिडी दी जा रही थी, उसी रेट पर हम आज भी दे रहे हैं, हालांकि इसकी cost of production बढ़ गई है । जो ज्यादा cost of production है, उसको सरकार सब्सिडी के रूप में meet करती है । किसान को वर्ष 2002 से जिस दाम पर खाद मिल रही है, चाहे यूरिया हो या MOP हो या TAP हो, उसी दाम पर पिछले 3 सालों से किसान को खाद मिल रही है और उसे कहीं भी ज्यादा दाम देने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I do appreciate the Fertilizer Policy in respect of encouraging conversion to liquid natural gas in stead of using Naphtha. At present, Naphtha based phosphatic fertilizer manufacturing companies like MFL and FACT are suffering due to high cost of production. Part (a) of my supplementary is whether the Government would implement the original recommendations of the Tariff Commission. And, part (b) of my supplementary is this. In relation to the major fertilizer manufacturing company, FACT, there was a proposal for the revival of FACT. That is still pending. A financial package has been given by the Fertilizer Ministry to the Finance Ministry. What is the fate of the financial package to FACT? I would like to know whether there is any proposal to revive FACT. Is there any proposal of take over by the RCF? Would the Minister kindly throw light on these points?

Thank you.

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, यूरिया की जो pricing policy है या distribution system है, वह पहले 100 परसेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन 2003 से इसको 50 परसेंट कर दिया गया है, यह 50 परसेंट सरकार के कंट्रोल में है और 50 परसेंट de-control कर दिया गया हैं। जहां तक new pricing scheme का सवाल है, new pricing scheme लागू की गई है और इसकी 6 कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। वर्ष 1992 से पहले जो naphtha पर आधारित थी,या खाद पर आधारित थी फिर fuel पर आधारित थी, इस तरह से 6 कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। उसमें आउटलेयर कर दिया गया कि 20% से ज्यादा जिनका प्रोडक्शन हुआ है, जिनका मूल्य एवरेज से ज्यादा है और जिनका मूल्य कम है, जिनका मूल्य ज्यादा है, उनको आउटलेयर करार कर दिया गया और इसके लिए 50% कंसेशन दे कर और फिर 50% उनसे एक्स्ट्रा घटाया गया। अब उसे 70% करने का विचार चल रहा है। सर, इसको तीन फेज में कर दिया गया है। अब उसके लिए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का टर्म खत्म होने वाला है, वह 2006 में खत्म होगा। इस बीच वाईके अलघ कमेटी बना दी गई है, जो इन सारे मुद्दों को देख रही है। वह जो रिकॅमेंडेशन देगी, उसके ऊपर सरकार विचार करेगी।

जहां तक एफएसीटी का सवाल है, आप जानते हैं कि एफएसीटी घाटे में चल रहा था और एफएसीटी को दो बार पैकेज दिया जा चुका हैं । पहला पैकेज जुलाई 2002 में दिया गया और दूसरा पैकेज सितम्बर 2003 में दिया गया। अब उन्होंने तीसरे पैकेज की मांग की है। मै सिर्फ मांग की बात करूंगा, क्योंकि जब पिछली बार मैंने यहां कैबिनेट की बात का जवाब दिया था, तो हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया था। इसलिए में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने मांग की है कि आउटलेयर बेनिफिट को 50% से 70% किया जाए, 150 करोड़ के ऋण हेतु सरकार गारंटी दे और मिश्रित खाद में संशोधन कर अमोनिया के बदले यूरिया पर छूट दी जाए। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने सीसीए का कैबिनेट नोट तैयार कर सरकुलेट कर दिया है।

श्री सभापति: श्री वसंत चव्हाण।

श्री वसंत चव्हाण: सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने एक वर्किंग ग्रुप बनाया हैं। वर्किंग ग्रुप में काफी टर्म्स एंड रिफरेंसेज दिए गए हैं, कि किन-किन बातों की छान-बीन करनी है, लेकिन किसान जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान है, वह है नकली यूरिया को रोकने के बारे में, टर्म्स एंड रिफरेंसेज में इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि टर्म्स एंड रिफरेंसेज में नकली यूरिया को रोकने के प्रावधान के क्लॉज का भी वे समवेश कर सकेंगे?

श्री राम विलास पासवान: सर, मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं कि नकली यूरिया के सम्बन्ध में सवाल उठाया जा रहा है, यूरिया का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें नकली नहीं है, जो कि हमारी

कम्पनी में पैदा होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसी तरीके से एमओपी और डीएपी खाद का फॉसफोरिक एसिड के आधार पर हम यहां बनाते हैं। कुछ हम बाहर से डीएपी खाद का आयात भी करते हैं, एमओपी तो टोटली आयात करना पड़ता है। उस परिस्थिति में जो हमारे द्वारा सारा संचालित है, उसमें कहीं नकली शब्द है ही नहीं। अब स्टेट्स में कहीं कोई नकली बना कर बेचे या कुछ करे, तो वह हमारे नॉलेज में नहीं आता हैं। यह टोटली डिकंट्रोल्ड है। इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकारें जगह-जगह पर, जब उनको कभी सूचना होती है तो वे छापा भी मारती हैं, पकड़ने का भी काम करती हैं, दण्डित करने का भी काम करती हैं।

श्री सभापति: श्री दीपांकर मुखर्जी। ...(व्यवधान)...नहीं, नहीं, अब मैं एलाऊ नहीं करूंगा, आप बैठिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: सर, इस प्रश्न के पैरा दो के बी एंड सी के अन्दर मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है इंडियन एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी, कानपुर, जो बन्द था, उसे खुलवाने में, काफी कुछ कंसेशंस दिए गए हैं, और यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी बिजली की कंसेशंस दी गई हैं। यह सब कुछ होने के बावजूद जो हो रहा है, वह यह है कि मालिक आ कर अभी वर्कर्स को यह बोल रहा है, I have seen the letter, लिखित रूप से कि यह जो नया प्राइसिंग स्कीम हुआ है, इसमें इनर्जी नार्म्स का, इनर्जी एफिसिएंसी चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, whatever norms are there, जिससे उसका प्राइसिंग फिक्स किया है। उसका पूरा का पूरा बोझ वे वर्कर्स पर डालना चाहते हैं। The employer wants to reduce the workforce by half; he wants to stop all the incentives. All these things he says because नई प्राइसिंग पॉलिसी के लिए the whole thing he is putting on the Government. यह सरकार ने नई प्राइसिंग पॉलिसी बनाई है, अब आप चलाना चाहते हैं जो आपको वेज फ्रीज़ करना पड़ेगा, आपको मैन-पावर रिड्यूस करना पड़ेगा और प्लांट चलाने के टाइम एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आपसे यही उम्मीद है, आपसे आशा है, मैं आपसे यही क्वैश्चन करूँगा कि आपने इसके लिए इतनी मेहनत की है, उन्हें कंसेशंस दिया है, उन्हें सैक्रिफाइस दिया है, सब कुछ आपने दिया है, उसके बाद अगर बोझ वर्कर्स पर ही डालना चाहते हैं तो मैनेजमेंट, मालिक को बुलाइए और हम आपसे सहायता करेंगे। जब गोल्ड प्लेटिंग करके पैसा कमाया था, सब्सिडी के नाम पर, गोल्ड प्लेटिंग करके 500 करोड़, 300 करोड़ का गोल्ड प्लेटिंग किया था, वह सब चिट्ठा मेरे पास है। अब जो वर्कर्स के लिए बच गया है, इसमें आप इंटरफेयर कीजिए so that यह इंडियन एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी, यूरिया वाली फैक्टरी, कानपुर की, फिर से खुल जाए। आप मालिक को बुला कर डाँट दीजिए। आज कल आप डाँटते कम हैं, केवल मुझे डाँटते हैं कि दुर्गापुर का टाउनशिप अभी तक नहीं मिला।

श्री सभापति: आपकी डॉट वहाँ पहुँच जाती है।

श्री राम विलास पासवान: सर, हम किसी को डाँटते नहीं हैं, लेकिन हमारे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट रहता है। जहाँ तक डंकन का सवाल है, डंकन प्योरली एक प्राइवेट कम्पनी है, यह आप जानते हैं। सर, प्राइवेट कंपनी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है। हम उसको फेसिलिटेट करते हैं और यह हमारी सरकार की पॉलिसी भी है। सर, एक बात सही है कि नेफ्था के दाम 22 हजार रुपए प्रति टन हैं, जोकि बहुत अधिक हैं whereas जो गैस पर आधारित है, उसके दाम 22 सौ रुपए टन हैं। इसी तरीके से एल॰एन॰जी॰ का भी एक स्टेंडर्ड है, लेकिन जब वह बाहर से मंगाते हैं, उसका दाम करीब 85 सौ रुपए प्रति टन पड़ जाता है। इस परिस्थिति में सरकार ने यह जरूर कहा है कि नए जितने प्लांट्स लगें वे सारे-के-सारे गैस आधारित लगें। अब जहां आपने अपने सवाल में डंकन के बारे कहा, हम अपने स्तर से मजदूर के हित में क्या कर सकते हैं, उसे जरूर देखेंगे। लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कि सदन को assurance दें कि उनको बुलाएंगे। मगर हम अपने स्तर से, हमारी गवर्नमेंट के जो लिमिटेशन हैं, उस स्तर से भी इतना जरूर चाहेंगे कि मजदूर को कोई उसमें परेशानी न हो।

Hunger Free India

*507. DR. T. SUBBARAMI REDDY:
SHRIMATI AMBIKA SONI:†

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government have prepared an action plan for turning every village into a knowledge centre and making India hunger free by 15th August, 2007;

(b) whether the country has the necessary technical, financial, managerial and political capacity to launch an integrated nutrition-cum-livelihood security system to achieve freedom from hunger;

(c) if so, whether there is a need for paradigm shift in planning and implementation from the concept of food security; and

(d) to what extent these provisions are being worked out successfully to make India hunger free by 2007?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI) ON BEHALF OF THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Ambika Soni.